फर्द अहकाम

बनाम

आशा गोपाल

(न्या)यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

(वा)द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 147/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.2024	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 29.08.2024 को पेश हो। mnt सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
29/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पेशशुदा नोटिस की तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/10/24 को पेश हो। mnt	
03/9/24	प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थीया/वादिया ने स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो किये जाने का मय शपथ पत्र पेशकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादपत्र को विड्रो करने के आदेश प्रदान	आशा [signature] 3/09/24

फर्द अहकाम

आशा बनाम गोपाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 147/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रदान करने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पश्चात वादिया के अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थीया/वादिया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थीया को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि पक्षकारों के मध्य आपस मे मिल बैठकर राजीनामा हो गया है एवं प्रार्थीया वादपत्र को आगे नही चलाना चाहती है इसलिए न्यायहित मे प्रार्थीया/वादिया का प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र को विड्रो किये जाने का स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विड्रो करने कि अनुमति प्रदान की जाती है अत: प्रार्थना पत्र वादपत्र विड्रो स्वीकार होने से वादिया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण